



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

49-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 12, 2025 (PHALGUNA 21, 1946 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

### Notification

The 12th March, 2025

**No. 7-HLA of 2025/12 /4781.**— The Seeds (Haryana Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 7- HLA of 2025**

### THE SEEDS (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2025

**A**

### BILL

*further to amend the Seeds Act, 1966.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Seeds (Haryana Amendment) Act, 2025.
2. After section 19 of the Seeds Act, 1966, the following section shall be inserted, namely:-
  - (i) “19A. Penalty for contravention of section 7.- Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, the offences committed in contravention of section 7 of this Act shall be cognizable and non-bailable-  
where an offence has been committed by a company/producer, every person who at the time of the commission of offence was in charge and was responsible to the company/producer for the conduct of the business shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to two years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to three lakh rupees. Further, in the event of an offence being committed by a company/producer, having been previously convicted of an offence shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to three years and shall also be liable to fine which shall not be less than three lakh rupees but which may extend to five lakh rupees;

Short title.

Insertion of section 19A in Central Act 54 of 1966.

- (ii) where an offence has been committed by a dealer/person, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year and shall also be liable to fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to one lakh rupees. Further, in the event of an offence being committed by a dealer/person, having been previously convicted of an offence shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to two years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to two lakh rupees.

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (i) 'producer' means a person engaged in the commercial production of seeds for further sale through a dealer; and
- (ii) 'dealer' means a person carrying on the business of selling, exporting or importing seeds and includes retailer, marketeer, e-marketeer, an agent of a dealer and e-marketeer."

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Seeds Act, 1966 is enacted to provide for regulating the quality of certain seeds for sale, and for matters connected therewith.

It is noticed that many producers, dealers, and sellers are engaged in production, stocking, sell, import, transport or distribution of seeds which are not as per standards. The farmers are being sold such seeds which do not provide results for improvement of productivity of the farm produce. The same is also resulting into increase of cost of crop production and loss of economy.

Therefore, the Govt. of Haryana considers it expedient to prevent sale of sub standard seeds and for that purpose inserted section 19A after Section 19 for the contravention of section 7 of the Seeds Act, 1966 in its application to the State of Haryana. For stringent punishment, the State government has made the offence cognizable and non-bailable.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

Hence, this Bill

SHYAM SINGH RANA,  
Agriculture Minister,  
Haryana.

-----

Chandigarh:  
The 12th March, 2025.

DR. SATISH KUMAR,  
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 7 एच.एल.ए.

**बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2025**  
**बीज अधिनियम, 1966 को आगे**  
**संशोधित करने के लिए**  
**विधेयक**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम।

1966 के केन्द्रीय अधिनियम 54 की धारा 19क का रखा जाना।

1. यह अधिनियम बीज (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

2. बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात् :-

“19क. धारा 7 की उल्लंघना के लिए शास्ति.- इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 7 की उल्लंघना में किए गए अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे-

(i) जहां कोई अपराध किसी कम्पनी/उत्पादक द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के होने के समय, कारबार के संचालन के लिए प्रभारी था और कम्पनी/उत्पादक के प्रति उत्तरदायी था, कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन लाख रूपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा। आगे, किसी कम्पनी/उत्पादक, जिसे किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका हो, द्वारा कोई अपराध किए जाने की दशा में, कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो तीन लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा;

(ii) जहां कोई अपराध किसी व्यवहारी/व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो वह कारावास, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा। आगे, किसी व्यवहारी/व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका हो, द्वारा कोई अपराध किए जाने की दशा में, कारावास, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रूपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा।

व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजनों हेतु,-

(i) ‘उत्पादक से अभिप्राय है, किसी व्यवहारी के माध्यम से आगे विक्रय के लिए बीजों के वाणिज्यिक उत्पादन में नियोजित कोई व्यक्ति; तथा

(ii) ‘व्यवहारी’ से अभिप्राय है, बीजों के विक्रय, निर्यात या आयात का कारबार करने वाला कोई व्यक्ति तथा इसमें ई-विक्रयी, ई-विक्रयी और व्यवहारी का कोई अभिकर्ता भी शामिल है।”।

**उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण**

बीज अधिनियम, 1966 विक्रय के लिए कतिपय बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

यह ध्यान में आया है कि बहुत से उत्पादक, व्यापारी तथा विक्रेता बीज जो मानकों के अनुसार नहीं हैं, के उत्पादन, संग्रहण, विक्रय, आयात, परिवहन तथा वितरण में लगे हुए हैं। किसानों को ऐसे बीज बेचे जा रहे हैं जो कृषि उपज की उत्पादकता के सुधार के लिए परिणाम नहीं देते हैं। वे फसल उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी करने तथा अर्थव्यवस्था की हानि के परिणामिक भी हैं।

इसलिए हरियाणा सरकार ने घटिया बीज के विक्रय को रोकने के लिए इसे उचित समझा है तथा इस प्रयोजन के लिए बीज अधिनियम, 1966 हरियाणा राज्यार्थ की धारा 7 के उल्लंघन के लिए धारा 19 के बाद धारा 19—क रखी गई है। कड़े दण्ड के लिए राज्य सरकार ने इसे संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध बनाया है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

अतः यह विधेयक है।

श्याम सिंह राणा,  
कृषि मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 12 मार्च, 2025.

डॉ० सतीश कुमार,  
सचिव।